

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 6/3/17

विषय:- सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य में City level technical cells के स्थापना पर व्यय हेतु विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹ 331.20 लाख रू0 के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि 110.40 लाख रू0 (एक करोड़ दस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है। मंत्रालय के पत्रांक-N-11015/02/2016/HFA-II/FTS: 14996 दिनांक-31.03.2016 द्वारा राज्य में City level technical cells के स्थापना पर व्यय हेतु ₹ 331.20 लाख विमुक्त की गयी। इसकी निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-07 दिनांक-13.05.16 आवंटनादेश सं0-08 दिनांक-13.05.16 द्वारा की गयी है। अतएव स्वीकृत्यादेश सं0-241 दिनांक-6/3/17 के आलेख में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुपातिक राज्यांश की राशि कुल ₹110.40 लाख रू0 (एक करोड़ दस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि 110.40 लाख रू0 (एक करोड़ दस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98, एवं पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-5193 दिनांक-28.06.16, पत्रांक-811 दिनांक-12.08.16 एवं पत्रांक-1211 दिनांक-15.12.16 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा।

राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. स्वीकृत राशि ₹110.40 लाख ₹0 (एक करोड़ दस लाख चालीस हजार ₹0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191 नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0319- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, पी0एफ0एम0एस0 कोड 1989, विषय शीर्ष 31 05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217011910319 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट उप शीर्ष में ₹ 9500.00 लाख ₹0 का बजट उपबंध प्राप्त है जिसमें से ₹8677.10 लाख ₹0 की निकासी की जा चुकी है तथा ₹ 822.90 लाख ₹0 का बजट उपबंध चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवशेष है।
6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जय प्रकाश मंडल),

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक-6/3/17

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 242

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

दिनांक-6/3/17

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 242

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-6/3/17

विषय:- सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य में City level technical cells के स्थापना पर व्यय हेतु विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹ 331.20 लाख रू0 के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि 110.40 लाख रू0 (एक करोड़ दस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है। मंत्रालय के पत्रांक-N-11015/02/2016/HFA-II/FTS: 14996 दिनांक-31.03.2016 द्वारा राज्य में City level technical cells के स्थापना पर व्यय हेतु ₹ 331.20 लाख विमुक्त की गयी। इसकी निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-07 दिनांक-13.05.16 आवंटनादेश सं0-08 दिनांक-13.05.16 द्वारा की गयी है। अतः इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुपातिक राज्यांश की राशि कुल ₹110.40 लाख रू0 (एक करोड़ दस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि 110.40 लाख रू0 (एक करोड़ दस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98, एवं पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-5193 दिनांक-28.06.16, पत्रांक-811 दिनांक-12.08.16 एवं पत्रांक-1211 दिनांक-15.12.16 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

297

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. स्वीकृत राशि ₹110.40 लाख रू0 (एक करोड़ दस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191 नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0319- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, पी0एफ0एम0एस0 कोड 1989, विषय शीर्ष 31 05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217011910319 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट उप शीर्ष में ₹ 9500.00 लाख रू0 का बजट उपबंध प्राप्त है जिसमें से ₹8677.10 लाख रू0 की निकासी की जा चुकी है तथा ₹ 822.90 लाख रू0 का बजट उपबंध चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवशेष है।
6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0- 43 /टि0 पर दिनांक- 02/03/2017 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0- 42 /टि0 पर दिनांक- 28/02/2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

[Signature]
(जय प्रकाश मंडल),

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक- 6/3/17

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 241

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
सरकार के विशेष सचिव।

दिनांक- 6/3/17

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 241

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
सरकार के विशेष सचिव।